कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जिला– सक्ती (छ.ग.)

क्रमांक........../मु.चि.अ/2023/ 20 सक्ती,दिनांक 17/02/2023

//आदेश//

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/40/एसएनए/2021/130/2019 रायपुर दिनांक 06/02/2023 के पत्रानुसार, NHA के निर्देशानुसार जिले में शत्–प्रतिशत हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड च्वॉईस सेंटरो/पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से अतिशीघ्र बनाया जाना है। ताकि योजनांतर्गत हितग्राहियों को योजना का लाभ आवश्यकतानुसार सुगमता पूर्वक प्राप्त हो सके।

छूटे हुए हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आपके द्वारा आयुष्मान अभियान का संचालन किया जा रहा है परंतु आज दिनांक तक सक्ती जिले में 7,21,246 में से केवल 4,58,350 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बन पाया है अभी भी जिले में लगभग 2,62,896 हितग्राहियों का पंजीयन नहीं हो पाया है। इस हेतु संलग्न आपके विकासखण्ड के ग्रामो में शिविर का आयोजन कर च्वाईस सेंटर के माध्यम से छुटे हुए परिवार/सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु जिला सक्ती स्तर के निम्न लिखित अधिकारी /कर्मचारियों को दायित्व सौपे जाते है:–

क्र.	पदनाम	सौपे गये दायित्व
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सक्ती	जिला नोडल अधिकारी (जिला स्तर पर कार्य की समीक्षा)
2	समस्त अनुविभागीय अधिकारी	संबंधित अनुभाग में कार्य की समीक्षा एवं निगरानी
3	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत	संबंधित दिनांक को शिविर लगाने की व्यवस्था करते हुए ग्राम स्तर पर सरपंच,सचिव,कोटवार एवं अन्य कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से छुटे हितग्राहियों को शिविर स्थल पर ले जाकर उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाना एवं प्रतिदिन शिविर में बनाये गए कार्ड की संख्या की समीक्षा करना।
4	महिला एवं बाल विकास विभाग	शहरी/ग्रामीण स्तर पर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा योजना का प्रचार प्रसार करते हुए आम जन को कार्ड बनवाने हेतु जागरुक करना।
5	समस्त तहसीलदार	ग्राम स्तर पर कोटवार के माध्यम से आवश्यक प्रचार प्रसार करते हुए छुटे हितग्राहियों को शिविर स्थल पर ले जाकर उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाना।
6	समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक	ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता/मितानिन के माध्यम से आवश्यक प्रचार प्रसार करते हुए छुटे हितग्राहियों को शिविर स्थल तक पहुंचाकर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाना।
7	समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका/नगर पंचायत।	संबंधित दिनांक को शिविर लगाने की व्यवस्था करते हुए अपने नगरीय क्षेत्र में आवश्यक प्रचार प्रसार करते छुटे हितग्राहियों को शिविर स्थल पर ले जाकर उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाना ।
8	जिला समन्वयक–मितानीन कार्यक्रम	शिविर स्थल में मितानीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए छुटे हुये हितग्राहियों को शिविर स्थल पर ले जाकर उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाना।

क्रमशः.............

Scanned with CamScanner

सर्व संबंधितो को निर्देशित किया जाता है कि उपर दिये गये अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए शत् प्रतिशत हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला सक्ती (छ.ग.)

पृ.क्र........../मु.चि.अ/2023/ 462 — 468 सक्ती,दिनांक 17/02/2023

प्रतिलिपिः—

1 संचालक, स्वास्थ्य सेवाये सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नोडल एजेंसी रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2 उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी डी.के.एस. भवन के पीछे द्वितीय तल पुराना नर्सिंग हॉस्टल रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला–सक्ती की ओर सूचनार्थ।
4 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5 ई. जिला प्रबंधक,चिप्स की ओर सूचनार्थ।
6 जिला कार्यक्रम समन्वयक, आयुष्मान भारत,जिला जांजगीर –चांपा की ओर सूचनार्थ।
7 कार्यालयीन प्रति।

कलेक्टर
जिला सक्ती (छ.ग.)

Scanned with CamScanner